न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 301/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम धर्मेन्द्र मांझी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित
22/01/2021	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1033/म0नि0को0, दिनांक–17.10.2019 से प्राप्त अशोक पेपर मिल थाना कांड सं0–118/19, दिनांक–25.08.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल इंजन नं0–**DHYRJD10874** एवं चेसिस नं0–**MD2A11CY3JRD36566** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से वाहन पंजीयन संख्या एवं वाहन स्वामी का नाम/पता प्राप्त किया गया जिसका रजि0 नं0–**BR07AK-5421** एवं वाहन स्वामी धर्मेन्द्र मांझी, पिता–रामेश्वर मांझी, साकिन+पो0–हवासा, थाना– ए0पी0एम0, जिला–दरभंगा हैं, जिन्हें कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नही हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि सहोरा चन्दनपट्टी मार्ग से कब्रिस्तान से पिछे एक व्यक्ति काले रंग के बिना नम्बर की पल्सर मोटरसाईकिल से अवैध शराब लेकर निकल रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु उक्त स्थल के पास पहुँचने पर देखा गया कि एक पल्सर मोटरसाईकिल सवार चन्दनपट्टी की ओर से आ रहा है, वह अपने पीठ पर एक काले रंग का बैग रखे हुये है तथा मोटरसाईकिल पर पीला एवं लाल रंग का झोला बांधे हुआ है, जो पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। तत्पश्चात् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् मोटरसाईकिल एवं बैग तथा झोला की तलाशी लेने पर उक्त बैग के अन्दर से एक प्लास्टिक जरकीन में 10 लीटर देशी शराब तथा झोला में रखा हुआ 2–2 लीटर का पाँच पोलीथीन में 10 लीटर देशी शराब कुल 20 लीटर देशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07AK-5421** से ले जा रहे बैग एवं झोला की तलाशी लेने पर उक्त बैग के अन्दर से एक प्लास्टिक जरकीन में 10 लीटर देशी शराब तथा झोला में रखा हुआ 2–2 लीटर का पाँच पोलीथीन में 10 लीटर देशी शराब कुल 20 लीटर देशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात् समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नही हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में अशोक पेपर मिल थाना कांड सं0–118/19, दिनांक–25.08.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07AK-5421** को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा